



कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, जबलपुर म.प्र.

ब्लॉक- 15, सिविक सेंटर, मंडाताल, जबलपुर (म.प्र.)

Email-Id Jabalpur@mptownplan.gov.in

Phone No. 0761-2401981

क्रमांक 1707/नयानि/16/JBLP2631/L/24/08.06.2016

दिनांक 10/08/2016

प्रति,

श्री केतन शाह एवं श्री हितेश शाह
श्री अनिल शाह व श्रीमति दमयंती शाह
281, नेपियर हाउस जबलपुर

विषय-

मौजा/ग्राम जिलहरी तहसील जबलपुर के नं. 414/265, पहन 8 खसरा क्रमांक 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 78/1, 79/2, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 81/2, 81/1, 84/1, 14/1, 15/1, 16/1. कुल एकवा 7.736 हेक्टेयर भूमि में से 6.935 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास अनुज्ञा वाच्य।

संदर्भ-

आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 07.06.2016 इस कार्यालय के आवक क्रमांक 1568 दिनांक 08.06.2016।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, आपके द्वारा प्रस्तुत संदर्भित आवेदन पत्र के साथ सलग्न भूमि स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर मौजा/ग्राम जिलहरी तहसील जबलपुर के नं. 414/265, पहन 8 खसरा क्रमांक 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 78/1, 79/2, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 81/2, 81/1, 84/1, 14/1, 15/1, 16/1. कुल रकबा 7.736 हेक्टेयर भूमि में से प्रस्तावित भूमि 6.935 हेक्टेयर पर आवासीय भूखण्डीय विकास अनुज्ञा हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 29(1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवासीय भूखण्डीय अभिन्यास मानचित्र की विकास अनुज्ञा वाहा गया।

आपके द्वारा प्रस्तुत विषयांकित भूमि पर म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल द्वारा आदेश क्र एफ-3-22-2012-बत्तीस-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-22-2012-बत्तीस, दिनांक 27 मई 2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करते हुये म.प्र. राजपत्र दिनांक 22.01.2016 में प्रकाशित सूचना के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण कृषि परिवहन एवं सवहन तथा प्रस्तावित मार्ग से आवासीय उपयोग में सशर्त भू-उपांतरण किया गया जिसमें कुल क्षेत्रफल 7.36 हेक्टेयर भूमि का उपांतरण किया गया तथा राजपत्र में वर्णित शर्त क्रमांक 6 के अनुसार जबलपुर विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग जो आवेदक की भूमि में प्रस्तावित है अतः उक्त विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग जिसकी चौड़ाई 45 मीटर प्रावधानित है तदनुसार आवेदित भूमि में से भाग रकबा 0.794 हेक्टेयर है, जिसे आवेदक द्वारा म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा किये गये उपांतरण में उल्लेखित शर्तों के अनुसार प्रस्तावित मार्ग अंतर्गत भूमि पर किसी भी प्रकार की विकास अनुज्ञा जारी तब तक नहीं की जाना है जब तक पुनर्विलोकित विकास योजना में उक्त प्रस्तावित मार्ग अंतर्गत भूमि पर कोई आवासीय प्रस्ताव नहीं दिये जा सकते। तदनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, अनुसार विकास योजना के प्रस्तावित मार्ग को मुक्त रखा गया है।

आपको म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल द्वारा म.प्र. राजपत्र दिनांक 22.01.2016 में प्रकाशित सूचना में वर्णित शर्त क्रमांक 2, 3, 4, 5 का पालन करना अनिवार्य होगा। तदनुसार विषयांकित भूमि जबलपुर विकास योजना-2021 का उपांतरित आवासीय भू-उपयोग एकीकृत भाग माना जावेगा। विषयांकित भूमि का स्थल निरीक्षण श्री केतन शाह एवं आर्किटेक्ट श्री ओम के. श्रीवास्तव की उपस्थिति में श्री राजेश दीवान सं.मा.0.चि.0 के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 02.08.2016 को किया जाकर प्रतिवेदित किया गया। प्रश्नाधीन भूमि रिक्त भूमि है जिस पर से अतिरिक्त उच्च वोल्टता विद्युत लाईन जा रही है तथा जोवित वृक्ष स्थित है जिसमें आवेदक के द्वारा मार्ग तथा खुला क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि से लगने वाला मार्ग निम्नानुसार है।

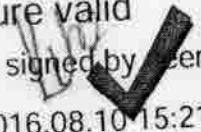
Signature valid
Digitally signed by Teraj anand
likhar
Date: 2016.08.10 15:21:13 IST

आवेदक के द्वारा कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे के पत्र क्रमांक SECR/DCE/Can/IBP/NOG/Private/2003/1984 दिनांक 28.06.2016 के द्वारा अनापत्ति प्रदाय की गयी है जिसमें वर्णित शर्त क्रमांक 1 से 9 तक का पालन करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त तथ्यों एवं प्रतिवेदन के आधार पर आपके द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व दस्तावेजों एवं शपथ पत्र दिनांक 21.07.2016 व क्षति पूर्ति पत्र दिनांक 03.05.2016, नगर पालिक निगम जबलपुर द्वारा प्रदत्त कालोनी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 220 दिनांक 26.04.2016 न्यायालय तहसीलदार गोरखपुर-2 का सीमांकन प्रतिवेदन आदेश क्रमांक अ-12/2015-16 तथा स्थल पंचनामा प्रदाय किया गया है तथा अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग गोरखपुर के प्रकरण क्रमांक 61/बी-121/15-16 के पत्र क्रमांक 604 दिनांक 19.07.2016 एवं कार्यपालन अभियंता म प्र पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी लिमिटेड के पत्र क्रमांक 2230 दिनांक 15.07.2016 जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर के पत्र क्रमांक 130 दिनांक 21.07.2016 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवासीय मूखण्डीय विकास अनुज्ञा हेतु संलग्न अभिन्यास मानचित्र को म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 30(1)(ख) के निर्दिष्ट प्रावधानों एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-2(5)(क) एवं नियम-27 के अधीन अनुमोदित कर वर्णित शर्तों के साथ दो जाकर म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1961 (क्रमांक 37 सन 1961) और उसके अधीन बनाये गये म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबंधन तथा शर्तों) नियम-1998 संशोधित नियम-19 अप्रैल 2012 के समस्त प्रावधानों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सक्षम अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित है।

1. निम्नलिखित अधिनियम नियम/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा—
अ. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1961 (क्रमांक-37 सन-1961)
ब. नजूल विभाग, जबलपुर
स. म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
द. अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। यदि किसी अधिनियम/नियमों के अंतर्गत कोई अन्य विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, तो उसे प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का होगा। संबंधित किसी विभाग को आपत्ति होने पर इस कार्यालय को वैधानिक साक्ष्यों सहित 15 दिवस में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर यह माना जावेगा कि किसी विभाग को उक्त अनुमोदन से कोई आपत्ति नहीं है।
2. म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबंधन तथा शर्तों) नियम-1998 के नियम-3 के तहत नगर पालिका निगम, जबलपुर द्वारा प्रदत्त कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक 143 दिनांक 08.02.2011 सहित अन्य संबंधित सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के पश्चात ही सक्षम प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम जबलपुर द्वारा अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र अनुसार विकास कार्य की अनुमति प्रदत्त की जावेगी।
3. प्रश्नाधीन भूमि नगर निगम जबलपुर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत है तथा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कालोनी विकास हेतु म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबंधन तथा शर्तों) नियम-1998) प्रभावशील है। उक्त नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम है। प्रकरण में म0प्र नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबंधन तथा शर्तों) नियम-1998 के अंतर्गत विकास अनुमति देने के पूर्व समस्त नियमों का पालन कराते हुये विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा उक्त नियमों में दिनांक 19.04.2012 के नियम-10 के प्रावधान अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गों एवं निम्न आय वर्गों के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिन्यास मानचित्र में चयनित विकल्प के प्रस्ताव अंकित किये गये हैं इसकी गणना का परीक्षण स्वयं के स्तर से मान्य करने का दायित्व सक्षम प्राधिकारी का है। यदि प्रावधान में कोई कमी हो तो उसकी समायोजित करने के पश्चात ही विकास अनुज्ञा जारी की जावे। तथा इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समायोजन हो तो विकास अनुज्ञा के पूर्व कार्यालय को अवगत कराया जावे।

Signature valid

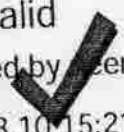
Digitally signed by  Raj anan
likhar
Date: 2016.08.10 15:21:13 IST

4. ओपको मप्र शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल द्वारा मप्र राजपत्र दिनांक 22.01.2016 में प्रकाशित सूचना में वर्णित शर्तों के अनुसार आवेदित भूमि के मध्य स्थित राजस्व मार्ग 12 मीटर को समन्वित कर 18 मीटर प्रस्तावित किया गया है तथा स्थल पर स्थित वृक्षों को गंवावत रखा जावे। यदि किसी वृक्ष आदि को हटाया जाना हो तो नियमानुसार जिला कलेक्टर से सक्षम अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही वृक्षों को हटाने संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी, बिना सक्षम अनुमति के वृक्षों को न हटाया जावे।
5. अभिन्यास मानचित्र में दर्शित समस्त आंतरिक मार्गों एवं बाह्य मार्गों को यथा स्थिति निर्धारित चौड़ाई/लम्बाई का विकास करना होगा मार्गों की भूमि पर किसी भी प्रकार का किसी के भी द्वारा निर्माण या अवरोध किया जाना प्रतिबंधित होगा। तथा बंद मार्गों पर कल-डी-सेक का प्रावधान म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के अनुसार आवेदक को स्वयं के व्यय से करना होगा तथा कल-डी-सेक से प्रभावित भूखण्ड का विकस्य तदानुसार किया जा सकेगा।
6. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-100 एवं 101 का पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक से पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। म0प्र0 शासन के आदेशानुसार एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-67 के अनुसार परिसर में प्रस्तावित खुले क्षेत्र व उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
7. विकास योजना के निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत अभिन्यास क्षेत्र में उपदर्शित भूखण्डों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन अनुमति हेतु स्वीकार्य फर्शी क्षेत्रानुपात, भवन की उचाई स्वीकार्य, आवृत्त क्षेत्र आदि की गणना व मापदण्ड जबलपुर विकास योजना-2021 के अध्याय-4 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत मान्य किये जा सकेंगे।
8. अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र में उपदर्शित भूखण्डों के आकार प्रकार व क्षेत्रफल संबंधित विस्तृत जानकारी विकास अनुमति से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक होगा तथा आरक्षित खुले क्षेत्र को विधिवत विकसित आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय से किया जाकर नगर निगम को हस्तांतरित किया जायेगा।
9. अभिन्यास मानचित्र में निर्धारित भूखण्डों के प्रयोजन आवेदक स्वयं के प्रेरणा से परिवर्तित नहीं कर सकता तथा भूखण्डों का सविलियन अथवा विभाजन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से स्वयं के प्रेरणा से नहीं कर सकता ऐसा किया गया कृत्य नियम विरुद्ध माना जाकर अभिन्यास मानचित्र को प्रभावशून्य कर दिया जायेगा।
10. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-81(4) के प्रावधानों के अनुसार शहरी जल संवर्धन प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अनुमोदित मानचित्र अनुसार स्थानीय संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। उसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल एवं विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्था के द्वारा दिया जा सकेगा।
11. प्रस्तावित विकास के आसपास लगी भूमि की कालोनियों पर निर्मित अनुमोदित मार्गों के भूखण्डों एवं खुले तथा अन्य क्षेत्रों का समावोजन किया जावेगा तथा उक्त अनुमोदित मार्गों को किसी भी प्रकार से अवरुद्ध किया जाना मान्य नहीं होगा। अतः अनुमोदित मार्गों को गेट अथवा बाउन्ड्रीवाल से अवरुद्ध/बाधित किया जाना मान्य नहीं होगा। यदि आवेदक संस्था द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है, तो स्थानीय संस्था एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाधित किये गये मार्ग पर मुक्त किये जाने संबंधित वैधानिक कार्यवाही कर सकेंगे।
12. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-93 के प्रावधान अनुसार प्रस्तावित प्रयोजन से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण की दृष्टि से स्थानीय संस्था के मार्गदर्शन में स्थान सुरक्षित करना होगा, जिसका प्रबंधन कालोनाईजर संस्था द्वारा स्वयं को करना होगा।
13. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-88-के प्रावधान अनुसार भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी के अनुसार किया जावेगा। इन प्रक्रियाओं का पालन करना आवेदक का दायित्व होगा जो कि सक्षम प्राधिकारी की निगरानी में सुनिश्चित किया जायेगा।
14. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना 14.09.2006 तक यथा सशोधित अधिसूचना 01.09.2009 की अनुसूची की कडिका 08(क) के अनुसार 20000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 1500000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरीय और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य है। म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञाप कमांक एफ-5-23/2003/32 भोपाल दिनांक 14.08.2016

Signature valid
Digitally signed by neeraj anand
likhar
Date: 2016.08.10 15:21:13 IST

- अक्टूबर 2005 में उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई 2004 के परिधेक्ष में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती है। तो ईकाई प्रधान को/संबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट/ईआईए के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार अथवा स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी लेवल इनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरटी (एसईआईए) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही परियोजना से जुड़े निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे तथा निर्माण के पूर्व ईआईए क्लीयरेंस लेना भी अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंधी समस्त प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। म0प्र0 शासन के आदेशानुसार कालोनी में पर्याप्त वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- 15 जल-मल निकासी, वर्षा के जल की निकासी तथा जल-मल संग्रहन की व्यवस्था एवं पानी की पाईप लाईन, टंकी आदि का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/नगर पालिका निगम जबलपुर के निर्देशन में निर्धारित मानकों व मानदण्डों के अनुसार उनकी देख-रेख में की जावेगी तथा नगर निगम के मुख्य ड्रेन से जोड़ा जावेगा। एसटीपी का निर्माण आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वयं की भूमि पर स्थापित करना अनिवार्य होगा।
 - 16 म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 52 के अनुसार स्थल पर स्थित विद्युत लाईन अथवा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार भूमि खुले रूप में रखनी होगी। प्रभावित भूखण्डों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा तब तक भवन अनुमति जारी न की जाये जब तक कॉलोनाईजर द्वारा उक्त विद्युत लाईन अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित न कर दी जाये।
 - 17 आपके द्वारा प्रस्तुत पटवारी खसरा ट्रेस मानचित्र में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर या प्रस्तुत अभिन्यास मानचित्र में विरोधाभास या विसंगती पाये जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं की एवं अपने वास्तुविद/इंजीनियर दोनों की बराबर की होगी, तथा सिद्ध पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 - 18 अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
 - 19 म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा-33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा 03 (तीन वर्ष) की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।
 - 20 स्थल पर अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र संबंधी जानकारी 5 X 4 फुट साईज के बोर्ड पर अंकित करना अनिवार्य होगा।
 - 21 इस अभिन्यास मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे एवं यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा उक्त स्थल मानचित्र को भू-स्वामित्व के रूप में किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं माना जावेगा। तथा इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि आवेदित भूमि का व्यापवर्तन व कालोनाईजर नियम-1998 के अंतर्गत अनुमतियां प्राप्त नहीं कर लेता।
 - 22 संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक 1754 दिनांक 03.04.2012 के अनुसार म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता-2004 (म0प्र0 इलेक्ट्रीसिटी सप्लाय कोड-2004) अनुसार आवासीय कालोनियो/बहुउपभोक्ता परिसरों के लिए अनुमानित विद्युत प्रभार की गणना कर आवश्यक क्षेत्र आवेदकों को बिना शर्त के संबंधित विभाग को सौंपेगे तथा विभाग द्वारा विद्युत प्रदाय प्रणाली जहां तक संभव हो, पर्याप्त स्थान पर उचित क्षमता का सब अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को दी जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by  Anand Likhari
Date: 2016.08.10 15:21:13 IST

23. आवेदक को नगर पालिक निगम जिला जबलपुर एवं अन्य विभागों से प्राप्त समस्त अनुज्ञाओं (विकास एवं भवन) की एक प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथा अनुज्ञा प्रपत्रों में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
24. प्रस्तावित भूखण्डीय विकास हेतु अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र अनुसार नियमों के अंतर्गत विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् विषयांकित भूमि पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि का सीमांकन जो कि विधिवत रूप से राजस्व विभाग द्वारा किया गया है, तदनुसार सीमांकन के अनुरूप स्थल की सीमा में विकास अनुमति से पूर्व कोई भिन्नता उत्पन्न होती है तो इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सक्षम प्राधिकारी एवं आवेदक दोनों का दायित्व होगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पुनः सीमांकित स्थल मानचित्र इस कार्यालय से स्वीकृत करना होगा।
25. अनुमोदित स्थल मानचित्र में विपरीत किये गये विकास कार्य, गलत या असत्य जानकारी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी कथन जो शपथ पत्र अनुसार असत्य पाये जाने या भू-सीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में, किसी भी सक्षम न्यायालय में विषयांकित भूमि से स्वामित्व से संबंधित कोई प्रकरण प्रचलन में होने व उसकी या किसी भी प्रकार की जानकारी इस कार्यालय से छिपाये जाने पर तथा पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्ध पाये जाने पर अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-25 के प्रावधानों के तहत प्रतिसंहरित (रिक्वोक) कर दी जावेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की मानी जावेगी।

संलग्न:- एक मानचित्र।

(नीरज आनंद लिखार)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जबलपुर म0प्र0

पृ0 क्रमांक 1708/2017/14 / JBLLP2631 / L / 24 / 08.08.2016

दिनांक 10/8/2016

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-5 असेरा कालोनी पर्यावरण परिसर भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
2. आयुक्त नगर पालिक निगम, जबलपुर की ओर सूचनार्थ लेख है कि उपरोक्तानुसार आवेदन से शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजय नगर जबलपुर।
5. उप-पंजीयक (स्टाम्प) पंजीयन कार्यालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कार्यपालन यंत्री (शहर) म0प्र0 विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कार्यपालन अभियंता (निर्माण) द पूर्व माध्य रेलवे जबलपुर पत्र क्रमांक SEC/R/DCE/Con/JP/NOC/ Private/2003/1984 दिनांक 28.08.2016 के सदर्थ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्न:- एक मानचित्र।

(नीरज आनंद लिखार)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जबलपुर म0प्र0

Signature valid

Digitally signed by Neeraj anand likhar
Date: 2016.08.10 15:21:13 IST